

श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त
निवेदन संख्या-88/2026 का उत्तर प्रतिवेदन

निवेदन	उत्तर प्रतिवेदन
कटिहार जिला के मनहारी प्रखण्ड अन्तर्गत फतेहनगर पंचायत के फतेहनगर, शिकारगंज मौजा की 120 एकड़ जमीन पर पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है। अतः सरकार से निवेदन है कि उक्त जमीन से पानी की निकासी की व्यवस्था करे।	वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनहारी प्रखण्ड अन्तर्गत फतेहनगर पंचायत के फतेहनगर, शिकारगंज मौजा के बाएं ओर महानंदा नदी एवं दाएं ओर कारी कोशी एवं गंगा नदी प्रवाहित होती है। प्रश्रगत मौजों का प्राकृतिक सतह स्तर नीचा है। बाढ़ अवधि के दौरान नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर उक्त निचले भू-भाग में पानी फैलता है। नदी के जलस्तर में कमी होने पर प्रश्रगत क्षेत्रों के निम्न तलों को छोड़कर अधिशेष जल की निकासी सतही बहाव/ प्राकृतिक नाला से हो जाती है। निम्न तलों का पानी जिसकी निकासी संभव नहीं होती है, के अधिकांश भागों में स्थानीय लोगों द्वारा मखाना की खेती की जा रही है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0नि0(क0)-03-02/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-606 दिनांक-15.04.2026 के प्रसंग में निवेदन सं0-88/26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0नि0(क0)-03-02/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0नि0(क0)-03-02/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0नि0(क0)-03-02/2026- 3743

पटना, दिनांक- 20/08/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
20/8/26